न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 84 / 2024 तारीख रजू 20.11.2024

रामदयाल पुत्र स्व0 रामनिवास माली निवासी ग्राम गोठ बिहारी, तहसील खण्डार । --- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। --- रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री रविशंकर सैनी एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 27.06.2025**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 121 / 2019 मे पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गोठ बिहारी के आराजी खसरा नम्बर 571 / 157 रकबा 0.13 हैक्टेयर किस्म गै0मु0नला पर संवत 2076 मे जिन्स जोत कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए एक माह (30) दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2019 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के पूर्णतया विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपलार्थी को सुनवाई एवं सबूत का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जबकि अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतया विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर गलत निर्णय पारित किया है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट पेश की है जबकि अपीलान्ट का राजकीय भूमि ख0नं0 571 / 157 रकबा 0.13 है [illegible] कोई अवैध कब्जा या अतिक्रमण नहीं है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को एक माह के कारावास की सजा से दण्डित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:41:43 IST
Reason: SelfAttested

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी इसलिये अपीलान्ट नियत समयावधि में अपील पेश नहीं कर सका। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.11.2024 को हुई जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी वारंट पर पुलिस ने अपीलान्ट को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद दिनांक 11.11.2024 को अपीलान्ट ने नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 12.11.2024 को प्राप्त हुई इसलिये जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट स्वयं की तामील हुई है। बावजूद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए अपील अपीलान्ट सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा/कब्जा–काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर